

प्रेस नोट दि०-09.06.2025 जनपद प्रतापगढ़

थाना अन्तू, जनपद प्रतापगढ़

- पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ० अनिल कुमार का अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ कड़ा एक्शन,
- हत्या का प्रयास, गाली गलौज व धमकी देने के अभियोग से संबंधित 04 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार व घटना में प्रयुक्त 01 अदद बांस का डण्डा बरामद।
- थाना अन्तू पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त थाना क्षेत्रान्तर्गत नौसाद मुर्गी फार्म के पास से गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त का विवरण-

थाना अन्तू क्षेत्रान्तर्गत ग्राम मवैयाकला में जमीनी विवाद को लेकर वादी के परिजनों को आरोपीगण द्वारा एक राय होकर लाठी-डंडों से लैस होकर वादी के घर में घुसकर गाली गलौज करते हुए जान से मारने की नियत से वादी पर हमला कर दिये एवं जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए। जिसके संबंध में वादी की तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 186/25धारा 191(2),191(3),190,109,115(2),333 बीएनएस बनाम 16 नामजद व कुछ अज्ञात का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ० अनिल कुमार द्वारा अभियुक्त वांछित अपराधी की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री शिव नारायण वैस के पर्यवेक्षण में थाना अन्तू प्रभारी निरीक्षक श्री आनन्द पाल सिंह के नेतृत्व में उ०नि० चन्द्रवली सिंह मय हमराह उ०नि० दिनेश राय, उ०नि० सुरेश कुमार यादव, आरक्षी का० संदीप यादव, का० लोकेन्द्र, का० मृत्यंजय चौधरी, का० मनीष कुशवाहा, म०आरक्षी सर्वेश धनगर, का० उपेन्द्र यादव द्वारा देखभाल क्षेत्र, तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान मुखबिर की सूचना पर थाना अन्तू में पंजीकृत मु०अ०सं० 186/25धारा 191(2),191(3),190,109,115(2),333 बीएनएस में वांछित 04 अभियुक्तों, 01.निजाम पुत्र शौकत अली, 02.रफीक पुत्र निजाम अली, 03.तौफीक पुत्र निजाम अली, 04.शरीफ पुत्र जाकिर निवासीगण ग्राम मवैयाकला थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़ को थाना क्षेत्रान्तर्गत नौसाद मुर्गी फार्म के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

01. निजाम पुत्र शौकत अली निवासी ग्राम मवैयाकला थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़।
02. रफीक पुत्र निजाम अली निवासी ग्राम मवैयाकला थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़।

03. तौफीक पुत्र निजाम अली निवासी ग्राम मवैयाकला थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़ ।

04. शरीफ पुत्र जाकिर निवासी ग्राम मवैयाकला थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़ ।

पूछताछ विवरण:-

पूछताछ करने पर अभियुक्त तौफीक पुत्र निजाम अली ने बताया गया कि मुर्गी फार्म के आगे जंगल में डण्डा छिपाया हूँ चलकर बरामद करा सकता हूँ। अभियुक्त की निशादेही पर 01 अदद बांस का डण्डा बरामद किया गया ।

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

उ0नि0 चन्द्रवली सिंह मय हमराह उ0नि0 दिनेश राय, उ0नि0 सुरेश कुमार यादव, आरक्षी का0 संदीप यादव, का0 लोकेन्द्र, का0 मृत्यंजय चौधरी, का0 मनीष कुशवाहा, म0आरक्षी सर्वेश धनगर, का0 उपेन्द्र यादव थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना दिलीपपुर, जनपद प्रतापगढ़

- प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी-
- थाना दिलीपपुर पुलिस द्वारा हत्या का प्रयास, गाली-गलौज, मारपीट, धमकी के अभियोग से संबंधित वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार
- गिरफ्तार अभियुक्त की निशादेही पर घटना में प्रयुक्त 01 अदद लोहे की रॉड बरामद ।
- थाना दिलीपपुर पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत उसके घर के पास से अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया-

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक-08.06.2025 को थाना दिलीपपुर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम प्रजापतिपुर निवासी वादी को घर जाते समय रास्ते में सिसौदिया नगर के पास आरोपीगणों द्वारा जान से मारने की नियत से लाठी-डण्डा, लोहे की रॉड से हमला कर घायल करने, गाली गलौज व धमकी देने के संबंध में वादी की तहरीर के आधार पर थाना दिलीपपुर में मु0अ0सं0 99/25 धारा 352/351(3)/324(5)/109(1)/115(2) बीएनएस बनाम 03 नामजद का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अभियुक्त वांछित/ वारण्टी अपराधी की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल एवं क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री मनोज

कुमार सिंह रघुवंशी के कुशल पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी दिलीपपुर श्री शत्रुघन वर्मा के नेतृत्व में उ0नि0 मनोज जायसवाल मय हमराह का0 निर्दोष कुमार, का0 शिवमंगल द्वारा देखभाल क्षेत्र, जाँच प्रा०पत्र पेडिंग विवेचना के दौरान, मुखबिर की सूचना पर थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 99/25 धारा 352/351(3)/324(5)/109(1)/115(2) बीएनएस से संबंधित वांछित अभियुक्त तुलसीराम पुत्र मल्लू निवासी ग्राम प्रजापतिपुर थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ़ को थाना दिलीपपुर क्षेत्रान्तर्गत उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. तुलसीराम पुत्र मल्लू निवासी ग्राम प्रजापतिपुर थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ़।

पूछताछ का विवरण-

गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि गाड़ी को हटाने बढ़ाने की बात को लेकर मेरी व वादी मुकदमा के मध्य मारपीट व तोड़फोड़ की घटना हुयी थी। मारपीट व तोड़फोड़ के बाद लोहे की राड वहीं सड़क किनारे सरपत के झुण्ड में मैंने फेक दिया था। अभियुक्त के निशानदेही पर 01 अदद लोहे की राड सरपत की झुण्ड से बरामद की गई।

बरामदगी-

घटना में प्रयुक्त 01 अदद लोहे की रॉड बरामद।

पुलिस टीम-

उ0नि0 मनोज जायसवाल मय हमराह का0 निर्दोष कुमार, का0 शिवमंगल थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ़।

थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़

- प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी-
- धोखाधड़ी व कूटरचित दस्तावेज के प्रकरण में वांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार
- थाना जेठवारा पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत उनके घर के पास से अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में अपराध रोकथाम एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये गये अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक, पश्चिमी श्री संजय राय व क्षेत्राधिकारी सदर श्रीमती करिश्मा गुप्ता के मार्गदर्शन/पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी जेठवारा श्री धर्मेन्द्र सिंह के नेतृत्व में उ0नि0 बंशीधर राय

मय हमराह हे0का0 राधेश्याम सुमन शर्मा, का0 प्रमोद यादव द्वारा देखभाल क्षेत्र, तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त, संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान, थाना जेठवारा में पंजीकृत मु0अ0सं0 241/2021 धारा 420/467/468/471/120बी भादवि में वांछित 02 अभियुक्तों, 01.सीबू पुत्र मुस्तफा उर्फ नन्हे निवासी ग्राम चमरूपुर पठान थाना जेठवारा प्रतापगढ़, 02.अभिनव सिंह पुत्र विश्वनाथ प्रताप सिंह निवासी ग्राम बाबूपुर थाना जेठवारा प्रतापगढ़ को थाना क्षेत्रान्तर्गत उनके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम-

01. सीबू पुत्र मुस्तफा उर्फ नन्हे निवासी ग्राम चमरूपुर पठान थाना जेठवारा प्रतापगढ़।
02. अभिनव सिंह पुत्र विश्वनाथ प्रताप सिंह निवासी ग्राम बाबूपुर थाना जेठवारा प्रतापगढ़।

पुलिस टीम –

उ0नि0 बंशीधर राय मय हमराह हे0का0 राधेश्याम सुमन शर्मा, का0 प्रमोद यादव थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़।

थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़

- बीट आरक्षी हरिकेश पाल की सतर्कता से 01 गैंगस्टर अभियुक्त को किया गिरफ्तार
- थाना पट्टी के बीट आरक्षी हरिकेश पाल ने गैंगस्टर अभियुक्त पर कसा शिकंजा
- बीट आरक्षी हरिकेश पाल ने साये की तरह बिछाए रखी अपनी पैनी नजर
- एसपी द्वारा अपराधी की पतारसी सुरागरसी के लिये थाना पट्टी के बीट आरक्षी हरिकेश पाल को दिया जाएगा ईनाम व प्रशस्ति-पत्र
- थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा थाना पट्टी क्षेत्रान्तर्गत उसके घर के पास से गैंगस्टर एक्ट के 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
- गिरफ्तार गैंगस्टर अभियुक्त चोरी, धोखाधड़ी, आर्म्स एक्ट, धोखाधड़ी, मारपीट व गैंगस्टर एक्ट जैसे कुल 08 संगीन अपराधों में अभ्यस्त

जनपद में अपराध नियंत्रण/ संगीन धाराओं में संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु बीट पुलिसिंग प्रणाली को मजबूत किया जा रहा है-

इसी क्रम में बहादुर आरक्षी हरिकेश पाल के सहयोग से थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0-248/2025 धारा 2/3 यू0पी0 गैंगस्टर एक्ट थाना कोतवाली नगर, प्रतापगढ़ में वांछित 01 अभियुक्त शिवम पाण्डेय उर्फ शिवम मोहन पाण्डेय पुत्र वंशीधर पाण्डेय निवासी महदहा थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 20 वर्ष को आज दिनांक 09.06.2025 को उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

गैंगस्टर एक्ट के गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

अन्तर्जनपदीय अभियुक्त शिवम पाण्डेय उर्फ शिवम मोहन पाण्डेय पुत्र वंशीधर पाण्डेय निवासी महदहा थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 20 वर्ष का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 49/22 धारा 147/149/323/336/352/353 भादवि थाना पट्टी, जनपद प्रतापगढ़।
2. मु0अ0सं0 153/22 धारा 323/325/341/427/504/506 भादवि थाना पट्टी, जनपद प्रतापगढ़।
3. मु0अ0सं0 529/22 धारा 379/411/413/414 भादवि थाना कर्नलगंज, जनपद प्रयागराज।
4. मु0अ0सं0 575/22 धारा 379/411/413/414 भादवि थाना कर्नलगंज, जनपद प्रयागराज।
5. मु0अ0सं0 186/23 धारा 379/411 भादवि थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़।
6. मु0अ0सं0 95/23 धारा 411/413/414/419/420 भादवि थाना नसीराबाद, जनपद रायबरेली।
7. मु0अ0सं0 318/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट व 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम थाना पट्टी, जनपद प्रतापगढ़।
8. मु0अ0सं0- 248/2025 धारा 2/3 यू0पी0 गैंगस्टर एक्ट थाना कोतवाली नगर, प्रतापगढ़।

थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़

—प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी-

—थाना कुण्डा पुलिस द्वारा अपहरण के अभियोग से संबंधित 02 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

—थाना कुण्डा पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त को थानाक्षेत्र के शिव मंदिर चौराहा पनिगो के पास से गिरफ्तार किया गया।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) श्री संजय राय व क्षेत्राधिकारी कुण्डा श्री अमरनाथ गुप्ता के पर्यवेक्षण में थाना कुण्डा प्रभारी निरीक्षक अवन कुमार दीक्षित मय हमराह उ0नि0 श्री मनोज कुमार, हे0का0 अरविन्द सिंह, हे0का0 सुभाष यादव, का0 गजेन्द्र सिंह, का0 जाहर सिंह, का0 विवेक मिश्रा, म0आरक्षी अनुराधा सिंह, म0आरक्षी रश्मि सोनकर द्वारा दिनांक 09.06.2025 को देखभाल क्षेत्र/संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों की चेकिंग, विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान, मुखबिर की सूचना पर थाना कुण्डा में

पंजीकृत अभियोग मु0अ0सं0 28 /23 धारा 364 भादवि से संबंधित वांछित 02 अभियुक्तों, 01. अंकित कुमार यादव उर्फ गोलू यादव पुत्र लल्लू यादव निवासी पनिगो थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़, 02. रंजीत यादव पुत्र नवरंग यादव निवासी धरम्मन का पुरवा खास मोहम्मदपुर थाना संग्रामगढ़ जनपद प्रतापगढ़ को थानाक्षेत्र कुण्डा के शिव मंदिर चौराहा पनिगो के पास से गिरफ्तार किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

01. अंकित कुमार यादव उर्फ गोलू यादव पुत्र लल्लू यादव निवासी पनिगो थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़ ।
02. रंजीत यादव पुत्र नवरंग यादव निवासी धरम्मन का पुरवा खास मोहम्मदपुर थाना संग्रामगढ़ जनपद प्रतापगढ़ ।

पुलिस टीम का विवरण-

निरीक्षक अवन कुमार दीक्षित मय हमराह उ0नि0 श्री मनोज कुमार, हे0.का0 अरविन्द सिंह, हे0का0 सुभाष यादव का0 गजेन्द्र सिंह, का0 जाहर सिंह, का0 विवेक मिश्रा, म0 आरक्षी अनुराधा सिंह, म0 आरक्षी रश्मि सोनकर, थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ ।